UPSI1800000812015

न्यायलय Civil Judge Junior Division Mahmoodabad, Sitapur

पीठासीन अधिकारी- (Amit Singh), (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) - UP02519

मूलवाद सं० Civil Suit/96/2015

Mishrilal Vs. Pyarelal and others

05.10.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वास्ते आ0 नि0 प्रतिस्थापन प्रा0 पत्र 30क अंर्तगत आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0, प्रार्थना–पत्र 32ग अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना–पत्र 33क आदेश 22 नियम 9 (2) सी0पी0सी0 नियत है। प्रार्थना पत्रों पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं है।

वादी की ओर प्रा0 पत्र 30क अंर्तगत आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 मय शपथ–पत्र, प्रार्थना–पत्र 32ग अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना–पत्र 33क आदेश 22 नियम 9 (2) सी0पी0सी0 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि उक्त वाद में वादी मिश्रीलाल की दौरान मुकदमा दिनांक 07.10.2020 को मृत्यु हो गई है। मृतक वादी के वारिसान में उनके पुत्र राकेश कुमार, शिवशंकर यादव एवं उनकी पत्नी श्रीमती राजमती हैं। अतः विलम्ब को शमित करते हुए तथा उत्पन्न उपशमन को समाप्त करते हुए उपरोक्त वर्णित वारिसान को मृतक वादी मिश्रीलाल के स्थान पर वाद में प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय। प्रार्थना–पत्रों पर विलम्ब हेतु आपत्ति की गई है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रा0 पत्र 30क अं0 आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 वादी मिश्रीलाल की मृत्यु हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारियों के वाद में प्रतिस्थापन के बाबत प्रस्तुत किया गया है। मृतक के विधिक वारिसान जरिए वकालतनामा उपस्थित आये हैं। उपरोक्त मृतक वादी के स्थान पर उसके उत्तराधिकारियों का वाद में प्रतिस्थापन वाद के गुण–दोष के निस्तारण हेतु आवश्यक है। प्रार्थना–पत्र औपचारिक प्रकृति का है। यदि उपशमन दोष उत्पन्न हुआ है तो वह भी समाप्त किये जाने योग्य है। जहॉ तक विलम्ब का सम्बन्ध है, यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। तद्नुसार प्रा0 पत्र बाबत प्रतिस्थापन हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 32ग अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना–पत्र प्रतिस्थापन 30क अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 मु0–100 रू0 हर्जे पर स्वीकार किये जाते हैं। तद्नुसार प्रार्थना–पत्र 33क भी स्वीकार किया जाता है। उत्पन्न उपशमन दोष को समाप्त किया जाता है। वादी संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दि0 18.10.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू0 डि0)
महमूदाबाद,सीतापुर।

J.O. Code-UP-2519

अजय/–

Digitally signed by Amit Singh
Date: 2021.10.05 17:46:44 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmoodabad, Sitapur.